P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-9*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

लोकतन्त्र के सजग प्रहरी : अटल बिहारी वाजपेयी

मिथलेश सिंह
प्रवक्ता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
के0के0पी0जी0 कालेज,
इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

''गत चार दशकों से अटल बिहारी वाजपेयी संसद में हैं जिन्होने अपनी ओजस्वी विनोदी शैली एवं अनुशासनपूर्ण गरिमायुक्त व्यवहार के द्वारा अपनी अलग छवि बनाई है। उनके मस्तिष्क में सदैव राष्ट्रहित जहाँ रहता है वहीं उन्होने छुद्र स्वार्थों से ऊपर उठने की क्षमता भी प्रदर्शित की है। यह भी कहा जा सकता है कि वाजपेयी ने भारतीय राजनीति मुख्यतया भारतीय संसदीय जीवन को गरिमा प्रदान की और कर रहे हैं।''–वाजपेयी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता यह कथन भारत के राष्ट्रपति के0आर0 नारायणन ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था।

मुख्य शब्द : अटल बिहारी वाजपेयी।

प्रस्तावना

अटल जी राजनीति के शिखर पुरुष स्वीकारे जाते हैं। वे अन्य राजनेताओं से इस मायने में भिन्न हैं कि वे मूलतः कवि और साहित्यकार हैं। उनका कवि सदैव उनके राजनेता के बगल में खड़ा रहता है तभी तो उनके भाषणों में कविता छन–छनकर जनसमुदाय को मंत्रमुग्ध करती रहती है। इसी कारण उनकी राजनीति की शैली परिष्कृत और मर्यादित है। इस सन्दर्भ में उन्होने अपने साक्षात्कार में कहा है कि ''जब कोई साहित्यकार राजनीति करेगा तो वह अधिक परिष्कृत होगी। यदि राजनेता की पृष्ठभूमि साहित्यिक है तो वह मानवीय संवेदनाओं को नकार नहीं सकता।''

सन् 1957 में लोकसभा के चुनाव में श्री अटल जी को मिलाकर जनसंघ के कुल चार सदस्य चुने गये थे। जनसंघ के चारों सदस्य प्रथम बार जीतकर संसद पहुंचे थे और विधायी कार्य के लिए अनुभवहीन थे। संख्या कम होने के फलस्वरूप अपने साथी सदस्यों के साथ अटल जी सदन में पीछे बैन्चों पर बैठते थे, लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना टेड़ी खीर था। संसद में पहुंचकर श्री अटल जी ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय की योजनानुसार ही हिन्दी में भाषण देने की नीति अपना ली थी जिसकी सभी पत्र–पत्रिकाओं ने भूरि–भूरि प्रशंसा भी की। अटल जी के राजनैतिक व्यवहार पर एवं संसदीय जीवन पर डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का बड़ा प्रभाव पड़ा। पण्डित जी के एकात्म मानववाद का प्रभाव श्री अटल जी के जीवन पर उनके व्यवहार में उनके कर्म से स्पष्ट परिलक्षित होता है। राष्ट्रहित उनके समक्ष सर्वोपरि रहा है।

विदेश नीति अटल जी का प्रिय विषय था। उन दिनों श्री जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी थे। भारतीय जनसंघ के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण बोलने का समय उन्हें बहुत कम केवल दो चार मिनट ही मिलते थे। एक बार समय न मिलने के कारण अटल जी ने सदन से बर्हिगमन कर दिया था। दिनांक 2 सितम्बर 1957 को विदेश नीति पर अपने पहले भाषण में देश के समक्ष खड़ी समस्याओं की तरफ इंगित करते हुये अटल जी ने कहा था कि ''कश्मीर का प्रश्न हो या गोवा का सवाल या विदेशों में बसे हुये भारतीयों की समस्या, हमारे प्रधानमंत्री महोदय की प्रतिष्ठा उनका मान–सम्मान इन समस्याओं को हल करने में जितना सहायक होना चाहिये था अभी तक नहीं हुआ है।''

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में खुलासा करते हुये अटल जी ने कहा कि ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता के आधार पर नहीं चलती है, उसमें निष्काम कर्मयोग के लिए स्थान नहीं है। जहाँ तक भारत सरकार की नीति का प्रश्न है कि हम किसी गुट में नहीं मिलेंगे हम इसका समर्थन करते हैं।'' वादों की खींचातानी और गुटों की गलियों में भटकने की अपेक्षा भारत का गुट निरपेक्ष दृष्टिकोण बड़ा सार्थक एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। शुरू–शुरू में

लोगों ने उसे राजनीतिक कमजोरी की संज्ञा दी परन्तु धीरे–धीरे लोगों की समझ में यह बात आने लगी और भारत के आविष्कृत राजनीतिक सिद्धान्त का अनुसरण करने लगे। गुट निरपेक्षता का विश्व सुरक्षा की मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका अनुभव हमें अपने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान समय–समय पर हुआ था, इसी कारण हमारी निर्भीकता बढ़ी थी। हमें पूरा विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र को अपनी सुरक्षा को बचाने के लिए किसी विशेष गुट में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा तो उस राष्ट्र की आन्तरिक शक्ति से होती है।

आज वर्तमान पीढ़ी ने इस तथ्य को भली भाँति पहचान लिया है और बड़ी शक्तियों ने भी स्वीकारा है कि आपसी टकराव की नीति से किसी भी एक का भला नहीं होता है नुकसान अवश्य हो सकता है। विश्व में पहली बार इस रचनात्मक विचारधारा का विकास देखा गया। युद्ध वास्तव में विनाश का दूसरा नाम है। उससे तरक्की का पहिया टूट जाता है।

अटल बिहारी वाजपेयी ने सामान्यतः पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर सम्बन्ध रखने पर अधिक जोर दिया जनसंघ के नेता होते हुये उनका पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध मधुर रखना प्रायः उनके आलोचकों के लिए आश्चर्य की बात थी। वाजपेयी जी का मत है कि जब तक विभिन्न देशों विभिन्न संस्कृतियों तथा धर्मों के मानने वालों के साथ मिलजुलकर, आपसी भाईचारे के साथ रहना हम नहीं सीखेंगे तब तक विश्व भविष्य की अंधकारपूर्ण सुरंग से निकलकर प्रगति व कल्याण का प्रकाश नहीं देख पायेगा।

धर्म और मज़हब के नाम पर नौकरियों में आरक्षण के हमेशा विरोधी रहे हैं अटल जी। हरिजनों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की उन्होने हिमायत की क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं, सामाजिक दृष्टि से उनके साथ अन्याय किया गया है। मगर मजहब के आधार पर आरक्षण का क्या सवाल है। साम्प्रदायिकता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये अटल जी ने कहा था ''साम्प्रदायिकता किसी भी रूप में हो उसे कुचल दीजिए।'' अटल जी ने इसी सम्बन्ध में एक बार कहा था ''मुझे लगता है कि प्रारम्भ में ही सेक्युलर का अनुवाद धर्म निरपेक्ष की बजाय सम्प्रदाय निरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष कर दिया जाता तो अनेक आशंकायें जन्म नहीं लेतीं।'' अटल जी का कहना था कि हमारे संविधान के निर्माता इस सम्बन्ध में स्पष्ट और एकमत रहे होंगे उनकी उस भावना या विचारधारा में ईमानदारी व निष्ठा थी। निश्चित रूप से उनके सामने जनता के वोटों का लालच नहीं था। अटल जी के विचार के अनुसार सेक्युलर की सही परिकल्पना नहीं हो सकी है।

माननीय अटल जी ने राष्ट्रीय विकास नीतियों के सन्दर्भ में दो प्रमुख पहलुओं पर जोर दिया है। स्वराज और स्वदेशी– जो एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं। यदि स्वराज आम जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन है तो स्वदेशी है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए अर्थतन्त्र। भारत जैसे देश में स्वदेशी का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि अटल जी के स्वदेशी का अर्थ यह नहीं है कि हम कूप मंडूक हो जायें। नयी दुनिया छोटा सा गांव बन गयी है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।

संविधान के सम्बन्ध में अटल जी कहते थे कि संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है। संविधान को बदलती हुई परिस्थिति का प्रतिबिम्ब होना पड़ेगा। अटल जी ने कहा था कि यह विवाद व्यर्थ है कि संसद बड़ी है या सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है। दोनों अपने–अपने क्षेत्र में बड़े हैं। हम कानून बनाने में बड़े हैं सर्वोच्च न्यायालय कानून की व्याख्या करने में बड़ा है। किन्तु दोनों से बड़ा है भारत का संविधान। दोनों को संविधान की सीमा में रहना है। संविधान में उसके संशोधन की व्याख्या की गयी है। मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो दो तिहाई बहुमत से बदली नहीं जा सकतीं। उदाहरण के लिए मैं पूछना चाहता हूँ क्या संसद दो तिहाई बहुमत से भारतीय गणतंत्र को राजतंत्र घोषित कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या संसद दो तिहाई बहुमत से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को महारानी इन्दिरा गांधी घोषित कर सकती है? नहीं कर सकती है। हमें संविधान में मूलभूत अधिकारों को कम करने या उन अधिकारों को समाप्त करने से पहले गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

हम यह स्पष्ट रूप से जानते हैं कि देश को एकजुट और अखण्ड बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिये। हम मजबूत राज्यों की मदद वाला मजबूत केन्द्र चाहते हैं। केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सुधार जरूरी है।

वर्तमान राजनीति के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए अटल जी ने कहा– ''आज की राजनीति विवेक नहीं वाक् चातुर्य चाहती है, संयम नहीं, श्रेय नहीं, प्रेय के पीछे पागल है। मतभेद का समादर करना तो दूर रहा उसको सहन करने की वृत्ति भी विलुप्त हो रही है। आदर्शवाद का स्थान अवसरवाद ले रहा है। 'बायें' (लेफ्ट) और 'दायें' (राइट) का भेद भी व्यक्तिगत अधिक है, विचारगत कम। सब अपनी गोटी लाल करने में लगे हैं। उत्तराधिकार की शतरंज पर मोहरें बैठाने की चिंता में लीन हैं। सत्ता का संघर्ष प्रतिपक्षियों से ही नहीं, स्वयं अपने ही दल वालों से हो रहा है। पद और प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये जोड़–तोड़, सांठ–गांठ और ठकुरसुहाती आवश्यक है। निर्भीकता और स्पष्टवादिता खतरे से खाली नहीं है। आत्मा को कुचलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। सोचता हूँ कि जिस स्पष्टता से मैंने अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास किया है कहीं यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल न बन जाये।''

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *निष्काम कर्मयोगी, अटल बिहारी वाजपेयी – राधेश्याम गुप्त दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रकाशन, लखनऊ।*
2. *प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी – जगदीश विद्रोही, बलवीर सक्सेना, साहित्य प्रचारक दिल्ली।*
3. *राजनीति की रपटीली राहें – सम्पादक डा0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली।*